न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH.-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–183/2021
प्रकरण दायर दिनांक 13.07.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः–04.09.2023

उनवान– 1. पृथ्वीराज पुत्र लल्लू उम्र 28 साल
2. कौशल्या पत्नि लल्लू उम्र 58 साल
3. भौती पत्नि मांग्या उम्र 80 साल
4. रामजीलाल पुत्र मांग्या उम्र 63 साल
5. रामधन पुत्र मांग्या उम्र 45 साल
6. श्रीराम पुत्र मांग्या उम्र 50 साल

समस्त जाति माली निवासी मोडान की ढाणी ग्राम पो0 पीचूपाडा खुर्द तह0 बसवा जिला दौसा

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र प्रभात्या उम्र 43 साल जाति माली निवासी मोडान की ढाणी ग्राम पोस्ट पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।
2. उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बांदीकुई
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा।

दावा बाबत– तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–183/2021 सन्–2021

निर्णय दिनांक 04.09.2023

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा बाबत तकास्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम दुबलदयान का बास पटवार हल्का पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खतौनी संख्या नई 13 पुरानी 79 खसरा नं. 17 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 18 रकबा 0.43 हैक्टे., खसरा नं. 34 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 36 रकबा 0.31 हैक्टे. खसरा नं. 37 रकबा 0.04 हैक्टे. खसरा नं. 38 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नं. 39 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नं. 40 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 43 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नं. 44 रकबा 0.26 हैक्टे. , खसरा नं. 45 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 46 रकबा 0.03 हैक्टे. कुल किता 12 कुल रकबा 1.56 हैक्टे. स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है इस कारण पक्षकारान का भूमि मुतदाविया में अनडिवाईडेडशेयर अविभाजित भूमि पर यह निर्धारित नहीं किया गया है कि कौनसा हिस्सा कौनसी दिशा तथा कौनसा भू–भाग उक्त खसरा नम्बर में वादीगण के हिस्सें में आया तथा कौनसा भू–भाग हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में आया चूंकि यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है अभी उक्त भूमि का विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है ऐसे मे सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण का हिस्सा व हक कब्जा काश्त कानूनन बनता है। लेकिन भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने बाहमी तौर पर बांट रखा है। भूमि मुतदाविया में वादी नं. 1 व 2 का 1/20, 1/20 वां हिस्सा, वादी नं. 3 लगा0 6 का 1/10, 1/10 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है लेकिन भूमि को बोते समय व फसल काटते समय पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तथा

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

लगान जमा कराते समय विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी बिना एक दूसरे की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर कब्जे के अनुसार रास्ता का ध्यान रखते हुये सरस नरस के हिसाब से विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण का अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वह वादीगण ने अपने हक हिस्से व अधिकारात की भूमि से वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल करने की नियत से भूमि का बिना विधिवत तकास्मा करवाये ही अब भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा है तथा ऐलानियां धमकी दे रहा है कि मैं वादीगण को उनकी भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचान करने व अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर कब्जे व मौके के अनुसार रास्ते कायम करते हुये सरस नरस के हिसाब से वादीगण का हिस्से अनुसार अलग अलग चक व अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार रास्ते कायम करते हुये विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावें तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादीगण के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से तथा वादीगण व उसके व परिवारजन पर पुलिस थाना/न्यायालय में किसी भी प्रकार के झूठे मुकदमे करने से पाबंद रहे प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से एवं बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में प्रतिवादी वकील की गैरहाजिरी में जबाब बंद किया। वादीगण वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 13 पुरानी 79 के आराजी खसरा नं. 17,18, 34, 36 से 40, 43 से 46 किता 12 कुल रकबा 1.56 हैक्टे. ग्राम दुबलदयान का बास तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई जिला दौसा स्थित राजस्व जमाबन्दी संवत 2072–75 दर्ज है। जो राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का अधिकारात प्राप्त होने से वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार बॉदीकुई को भूमि खाता संख्या नया 13 पुरानी 79 के आराजी खसरा नं. 17, 18, 34, 36 से 40, 43 से 46 किता 12 कुल रकबा 1.56 हैक्टे. ग्राम दुबलदयान का बास तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य, मौका विभाजन रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरस नरस विधिवत पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये उनकी मौजूदगी में कर मौका विभाजन प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 3013 दिनांकः 27.07.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का वादी वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है=

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकई (दौसा)

Scanned with CamScanner

म ग्राम	खाता सं0	खसरा नं.	रकबा	वर्तमान कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
				क्रम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
बलदयान ा बास	नया–,13 पुराना–79	17	0.01	1.	कौशल्या पत्नि लल्लु हि. 1/10, पृथ्वीराज पुत्र लल्लू हि. 1/10 भौती पत्नि मांग्या हि. 1/5, रामजीलाल पुत्र मांग्या हि. 1/5, रामधन पुत्र मांग्या हि. 1/5 श्रीराम पुत्र मांग्या हि. 1/5 जाति माली सा.देह खातेदार	37	0.04
		18	0.43			38	0.07
		34	0.01			39	0.08
		36	0.31			40	0.02
		37	0.04			43	0.16
		38	0.07			44	0.26
		39	0.08			18/1	0.1350
		40	0.02				
		43	0.16				
		44	0.26				
		45	0.14				
		46	0.03				
		किता 12	1.56 है0				
					योग	किता–07	0.7650 हैक्ट.
				2.	पप्पू पुत्र प्रभात्या जाति माली सा.देह खातेदार	34	0.01
						36	0.31
						45	0.14
						46	0.03
						17	0.01
						18/2	0.2650
						किता–06	0.7650हैक्ट.
				3.	कौशल्या पत्नि लल्लु हि. 1/20, पृथ्वीराज पुत्र लल्लू हि. 1/20, पप्पू पुत्र प्रभात्या हि. 1/2 भौती पत्नि मांग्या हि. 1/10 रामजीलाल पुत्र मांग्या हि. 1/10 रामधन पुत्र मांग्या हि. 1/10 श्रीराम पुत्र मांग्या हि. 1/10 जाति माली सा.देह खातेदार	18/3	0.03 हैक्ट.
					योग	किता 01	0.03 हैक्ट.

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner